[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 06/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च, 2017

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के उपवाक्य (ख), केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अधिसूचना सं. 38/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) दिनांक 26 जून, 2001 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

क्रम सं.	**अधिकारी**	**केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों का स्तर (रैंक)**
1	**2**	**3**
"4	केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो महानिदेशालय के अधिकारी 1 अपर महानिदेशक 2 अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक 3 उप निदेशक 4 सहायक निदेशक	 1 आयुक्त 2 संयुक्त आयुक्त 3 सहायक आयुक्त/उप आयुक्त 4 निरीक्षक"

[फा.सं. 96/5/2017-सीएक्स-1]

(संतोष कुमार मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार

[**नोट:-** प्रधान अधिसूचना सं. 38/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 जून, 2001 को सा.का.नि. 467 (अ) दिनांक 26 जून, 2001 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 28/2014-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितंबर 2014, जिसे सा.का.नि. 652 (अ) दिनांक 16 सितंबर 2014 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।]